रजिस्ट्री सं. डीएल(एन)-04/0007/2003--05 REGISTERED No. DL(N)-04/0007/2003—05

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 46] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 12—नवम्बर 18, 2011 (कार्तिक 21, 1933)

No. 46] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 12—NOVEMBER 18, 2011 (KARTIKA 21, 1933)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ सं.
भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं.....	1425
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	1121
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	15
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	2103
भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम.....	*
भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ.....	*
भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट.....	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल है).....	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं.....	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं).....	*
भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश.....	*
भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.....	3687
भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टें और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस	*
भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.....	*
भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं.....	5909
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस.....	957
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूरक.....	*

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

	Page No.
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	1425
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	1121
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	15
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	2103
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	3687
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	*
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	5909
PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	957
PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folios not received.

भाग I — खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गईं विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 31 अक्तूबर 2011

सं. पीएफजी 541/96-प्रशासन-II--कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 209क की उपधारा (1) के खंड (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा क्षेत्रीय निदेशक कार्यालय, हैदराबाद (दक्षिण पूर्व क्षेत्र) में उप निदेशक श्री पी. सी. नंद कुमार को उक्त धारा 209-क के प्रयोजनार्थ प्राधिकृत करती है।

आर. के. पाण्डेय
अवर सचिव

वस्त्र मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 1 नवम्बर 2011

विषय :--परिधान एवं निट्वियर निर्यात हकदारी (कोटा) नीतियों के अवशिष्ट प्रावधानों के प्रचालन को 01 जनवरी 2012 से बढ़ाया जाना।

सं. 1/61/2004-निर्यात-I (1)--सरकार द्वारा परिधान एवं निटवियर निर्यात हकदारी (कोटा) नीतियों के अवशिष्ट प्रावधानों को दिनांक 09.11.2004 की अधिसूचना सं. 1/61/2004-निर्यात-I द्वारा प्रारंभ में 01.01.2005 से एक वर्ष के लिए लागू किया गया था तथा तत्पश्चात् समय-समय पर इन प्रावधानों को बढ़ाया गया था। इन प्रावधानों को 31 दिसम्बर 2011 तक बढ़ाया गया है।

2. सरकार ने एतद्द्वारा परिधान एवं निटवियर निर्यात हकदारी (कोटा) नीतियों के अवशिष्ट प्रावधानों के प्रचालन को 01 जनवरी 2012 से आगे एक और वर्ष के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया है।

3. उपर्युक्त पैरा 1 में उल्लिखित दिनांक 09 नवम्बर 2004 की अधिसूचना की अन्य सभी निबंधन एवं शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

ज. प्र. दत्त
अवर सचिव

विषय :--यार्न, फैब्रिक एवं मेड-अप्स निर्यात हकदारी (कोटा) नीतियों के अवशिष्ट प्रावधानों के प्रचालन को 01 जनवरी 2012 से बढ़ाया जाना।

सं. 1/61/2004-निर्यात-I (2)--सरकार द्वारा यार्न, फैब्रिक एवं मेड-अप्स निर्यात हकदारी (कोटा) नीतियों के अवशिष्ट प्रावधानों को दिनांक 09.11.2004 की अधिसूचना सं. 1/61/2004-निर्यात-I द्वारा प्रारंभ में 01.01.2005 से एक वर्ष के लिए लागू किया गया था तथा तत्पश्चात् समय-समय पर इन प्रावधानों को बढ़ाया गया था। इन प्रावधानों को 31 दिसम्बर 2011 तक बढ़ाया गया है।

2. सरकार ने एतद्द्वारा यार्न, फेब्रिक एवं मेड-अप्स निर्यात हकदारी (कोटा) नीतियों के अवशिष्ट प्रावधानों के प्रचालन को 01 जनवरी 2012 से आगे एक और वर्ष के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया है।

3. उपर्युक्त पैरा 1 में उल्लिखित दिनांक 09 नवम्बर 2004 की अधिसूचना की अन्य सभी निबंधन एवं शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

ज. प्र. दत्त
अवर सचिव

मानव संसाधन विकास मंत्रालय
(उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 21 अक्तूबर 2011

संकल्प

विषय :-- राष्ट्रीय पुस्तक संवर्धन परिषद् स्थापित करने के संबंध में।

सं. एफ 7-1/2011-बी.पी.--मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग, भारत सरकार ने देश में समग्र आवश्यकताओं के संदर्भ में पुस्तक उद्योग के विकास हेतु दिशा-निर्देश निर्धारित करने के प्रयोजनार्थ वर्ष 1967 में एक राष्ट्रीय पुस्तक विकास बोर्ड का गठन कया गया था। तदुपरांत, वर्ष 1970 में इस बोर्ड का पुनर्गठन किया गया और इसने फरवरी 1974 तक कार्य किया। राष्ट्रीय पुस्तक विकास परिषद् नामक एक नई निकाय की स्थापना 15 सितम्बर, 1983 को की गई जिसने 03 सितम्बर, 1986 तक कार्य किया। तत्पश्चात्, परिषद् को पहले 06.11.1990 को तथा 18.12.1997 को 03 वर्षों की अवधि के लिए पुर्नगठित किया गया था। इस परिषद् का अंतिम बार पुर्नगठन 02.09.2008 को तीन वर्ष की अवधि अर्थात् 01.09.2011 तक के लिए किया गया था।

2. भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने अब राष्ट्रीय पुस्तक संवर्धन परिषद् को दोबारा प्रचालित करने का निर्णय लिया है जिसकी संरचना एवं कार्य इस प्रकार होंगे।

3. परिषद् के कार्य :

पुस्तक संवर्धन से संबंधित सभी प्रमुख पहलुओं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ पुस्तकों के लेखन-कर्त्तव्य; पुस्तकों को तैयार करने, प्रकाशित

करने और बिक्री; मूल्य और प्रतिलिप्याधिकार, पुस्तक बढ़ने की आदत, विभिन्न भारतीय भाषाओं में विभिन्न आयु-समूहों के जन समुदाय के विभिन्न वर्गों के लिए पुस्तकों की उपलब्धता और सुलभता तथा सामान्य तौर पर भारतीय पुस्तकों की गुणवत्ता और विषयवस्तु शामिल है, के संबंध में विचारों के आदान-प्रदान को सुविधाजनक बनाना।

4. परिषद् का मुख्यालय तथा सचिवालय :

इस परिषद् का मुख्यालय, नई दिल्ली में स्थित होगा और इसके सचिवालय की व्यवस्था पुस्तक संवर्धन तथा प्रतिलिप्याधिकार प्रभाग, उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा की जाएगी।

5. परिषद् का गठन :

राष्ट्रीय पुस्तक संवर्धन परिषद् का गठन इस प्रकार होगा :--

(क) अध्यक्ष

मानव संसाधन विकास मंत्री, भारत सरकार

(ख) उपाध्यक्ष

उच्चतर शिक्षा राज्य मंत्री, भारत सरकार

(ग) रचनाकार/लेखक (3 सदस्य) :

(i) सुश्री नमिता गोखले : अंग्रेजी लेखक

(ii) श्री बेकल उताशी : हिन्दी लेखक

(iii) श्री अखलाक मोहम्मद खान शहरयार : हिन्दी कवि

(घ) पत्रकार :

(i) श्री शेखर गुप्ता

(ii) श्री श्रवण गर्ग

(ङ) प्रतिलिप्याधिकार विशेषज्ञ :

प्रो. एस.के. वर्मा, निदेशक, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विधि सोसाईटी, नई दिल्ली

(च) पदेन सदस्य :

(i) सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग, भारत सरकार

(ii) सचिव, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, भारत सरकार

(iii) सचिव, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार

(iv) सचिव, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार

(v) सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार

(vi) अध्यक्ष, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, नई दिल्ली

(vii) अध्यक्ष, साहित्य अकादमी, नई दिल्ली

(viii) निदेशक, राजा राम मोहन राय पुस्तकालय फाउंडेशन, कोलकाता

(ix) अध्यक्ष, भारतीय प्रकाशक संघ, नई दिल्ली

(x) अध्यक्ष, भारतीय प्रकाशक फेडरेशन तथा पुस्तक विक्रेता संघ, नई दिल्ली

(xi) अध्यक्ष, भारतीय लेखक संघ, नई दिल्ली

(xii) अध्यक्ष, भारतीय लेखक सोसाईटी, नई दिल्ली

(xiii) अध्यक्ष, सी.ए.पी.ई.एक्स.आई.एल., नई दिल्ली

(xiv) अध्यक्ष, दिल्ली राज्य पुस्तक विक्रेता एवं प्रकाशक, नई दिल्ली

(xv) अध्यक्ष, भारतीय पुस्तकालय संगठन

(xvi) अध्यक्ष, फेडरेशन ऑफ सेन्ट्रल यूनिवर्सिटीज टीचर्स एसोसिएशन

(xvii) अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ

(xviii) संयुक्त सचिव (पुस्तक संवर्धन) : सदस्य-सचिव

6. सदस्यों का कार्यकाल:

राष्ट्रीय पुस्तक संवर्धन परिषद् का कार्यकाल तीन वर्षों का होगा। परिषद् के अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल पदेन सदस्यों को छोड़कर और जब तक इसे कम अवधि का नहीं दर्शाया जाता सामान्यत: 3 वर्षों का होगा किन्तु वे पुन: नियुक्ति के पात्र होंगे। यदि परिषद् का कोई सदस्य अपने कार्यालय अथवा अपनी नियुक्ति के परिणामस्वरूप परिषद् का सदस्य बन जाता है तो उसके उस कार्यालय अथवा नियुक्ति से हटने पर परिषद् में उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। सदस्यों की सभी आकस्मिक रिक्तियों (पदेन सदस्यों को छोड़कर) को उस प्राधिकरण अथवा निकाय द्वारा भरा जाएगा जिसने उस सदस्य को नामित किया था, जिसका पद रिक्त हुआ है तथा इस प्रकार की आकस्मिक रिक्ति पर नियुक्त व्यक्ति परिषद् का सदस्य उस शेष अवधि के लिए रहेगा जिस तक वह व्यक्ति सदस्य रहता है जिसके स्थान पर रिक्ति हुई है।

7. बैठकें तथा उप-समितियां :

परिषद् साल में कम से कम एक बैठक आयोजित करेगी। परिषद् विशिष्ट उद्देश्यों हेतु समितियां/पैनल गठित कर सकती हैं जोकि आवश्यकतानुसार बार-बार बैठकें कर सकते हैं।

परिषद् की बैठकों में सामने आने वाले दृष्टिकोणों तथा सुझावों का प्रलेखन उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा भारत सरकार के मंत्रालयों/एजेंसियों हेतु उनकी नीतियों तथा कार्यक्रमों को तैयार करने में उपयुक्त स्तर तक सूचना के रूप में किया जाएगा।

परिषद् की प्रत्येक बैठक हेतु कार्यसूची तथा इस पर नोट को उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा समय-समय पर परिषद् के सदस्यों से प्राप्त सुझावों के आधार पर तैयार किया जाएगा।

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति सभी राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों, राष्ट्रपति सचिवालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, योजना आयोग को भेजी जाएं।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प को सूचना हेतु भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

वीना ईश
संयुक्त सचिव (पुस्तक संवर्धन तथा प्रतिलिप्याधिकार)

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

New Delhi, the31st October 2011

No. PFG(541)/96-Admn. II—In exercise of the powers conferred by Clause (ii) of Sub-Section (1) of Section 209A of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) the Central Government hereby authorize Shri P. C. Nand Kumar, Deputy Director in the Office of Regional Director (South East Region), Ministry of Corporate Affairs, Hyderabad for the purpose of the said section 209-A.

R. K. PANDEY
Under Secy.

MINISTRY OF TEXTILES

New Delhi, the 1st November 2011

Sub :—Extension of operation of residuary provisions of Garments and Knitwears Export Entitlement (Quota) Policies with effect from 1st January, 2012.

No. 1/61/2004-Exports-I (1)—The Government, vide Notification No. 1/61/2004-Exports-I dated 9th November, 2004, decided to enforce operation of the residuary provisions of Garments and Knitwears Export Entitlement (Quota) Policy initially for one year with effect from 1st January, 2005, and extended from time to time. These provisions have since been extended upto 31st December, 2011.

2. The Government hereby decides to extend the operation of the residuary provisions of Garments and Knitwears Export Entitlement (Quota) Policy for a further one year with effect from 1st January, 2012.

3. All other terms and conditions of the Notification dated 9th November, 2004 mentioned in Para 1 shall remain unchanged.

J. P. DUTT
Under Secy.

Sub :—Extension of operation of residuary provisions of Yarn, Fabrics & Made-ups Export Entitlement (Quota) Policies with effect from 1st January, 2012.

No. 1/61/2004-Exports-I (2)—The Government, vide Notification No. 1/61/2004-Exports-I dated 9th November, 2004, decided to enforce operation of the residuary provisions of Yarn, Fabrics & Made-ups Export Entitlement (Quota) Policy initially for one year with effect from 1st January, 2005, and extended from time to time. These provisions have since been extended upto 31st December, 2011.

2. The Government hereby decides to extend the operation of the residuary provisions of yarn, Fabrics & Made-ups Export Entitlement (Quota) Policy for a further one year with effect from 1st January, 2012.

3. All other terms and conditions of the Notification dated 9th November, 2004 mentioned in Para 1 remain unchanged.

J. P. DUTT
Under Secy.

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)

New Delhi, the 21st October 2011

RESOLUTION

Subject :—National Book Promotion Council-Setting up of.

No. F. 7-1/2011-BP—The Ministry of Human Resource Development, Department of Higher Education, Government of India, had set up a National Book Development board in 1967 to lay down guidelines for the development of the book industry in the context of the over-all requirements of the country. The Board was subsequently reconstituted in 1970 and functioned until February 1974. A new body called the National Book Development Council was set up on 15th September 1983 and functioned till 3rd September 1986. Thereafter, the Council was earlier reconstituted on 06.11.1990 and 18.12.1997 for a period of 3 years. The Council was last reconstituted on 02.09.2008 for a period of three years i.e. upto 01.09.2011.

2. The Government of India, Ministry of Human Resource Development have now decided to revive the earstwhile National Book Promotion Council which will have the following constitution and functions :—

3. Functions of the Council

To facilitate exchange of views on all major aspects of book promotion, inter alia, covering writing/authorship of books, production, publication and sale of books; prices and copyright, habit of book reading, availability and reach of books for different segments of population for various age-groups in different Indian languages and the quality and content of Indian Books in general.

4. Headquarters and Secretariat of the Council

The Headquarters of the Council shall be a New Delhi and its Secretariat will be provided by the Book Promotion and Copyright Division in the Department of Higher Education, Ministry of Human Resource Development, Government of India.

5. Composition of the Council

The National Book Promotion Council will have the following composition :

(a) Chairman

Minister of Human Resource Development, Government of India.

(b) Vice-Chairman

Minister of State for Higher Education, Government of India.

(c) Authors/Writers (3 members) :

(i) Ms. Namita Ghokale	:	English Writer
(ii) Shri Bekal Utashi	:	Hindi Writer
(iii) Shri Akhlaq Md. Khan Shahryar	:	Hindi Poet

(d) Journalists :

(i) Shri Shekhar Gupta

(ii) Shri Sharawan Garg

(e) Expert in Copyright :

Prof. S. K. Verma, Director, Indian Society of International Law, New Delhi.

(f) Ex-officio Members :

I. Secretary, Department of Higher Education, GoI

II. Secretary, Department of School Education & Literacy, GoI

III. Secretary, Ministry of Culture, GoI

IV. Secretary, Ministry of Information & Broadcasting, GoI

V. Secretary, Department of Consumer Affairs, GoI

VI. Chairman, National Book Trust, India, New Delhi

VII. President, Sahitya Academy, New Delhi

VIII. Director, Raja Ram Mohan Roy Library Foundation, Kolkata

IX. President, Federation of Indian Publishers, New Delhi

X. President, Federation of Publishers' & Booksellers Associations in India, New Delhi

XI. President, Authors Guild of India, New Delhi

XII. President, Indian Society of Authors, New Delhi

XIII. President, CAPEXIL, New Delhi

XIV. President, Delhi State Booksellers & Publishers, New Delhi

XV. President, Indian Library Association

XVI. President, Federation of Central Universities Teachers' Association (FEDCUTA)

XVII. President, National Student's Union of India (NSUI)

XVIII. Joint Secretary (BP) : Member-Secretary

6. Tenure of Members

The term of the National Book Promotion Council shall be three years. The tenure of the Chairman and each member of the Council, other than ex-officio members shall normally be three years, unless a shorter term is indicated; but they will be eligible for re-appointment. Where a Member of the Council becomes a member by reason of the office or appointment he holds, his membership of the Council shall stand terminated when he or she ceases to hold that office or appointment. All casual vacancies among the Members (other than ex-officio members) shall be filled by the authority or body who nominated the member whose place has fallen vacant and the person appointed to a casual vacancy shall be a Member of the Council for the residue of the term for which the person whose place has been filled, would have been a Member.

7. Meetings and Sub-Committees

The Council shall meet at least once a year. The Council may set up Committees Panels for specific purposes which may meet as frequently as required.

The views and suggestions emerging from the meetings of the Council will be documented by the Department of Higher Education as inputs to be taken note of by concerned Ministries/Agencies of the Government of India, to the extent relevant in formulating their policies and programmes.

For each meeting of the Council, the agenda and notes thereon will be prepared by the Department of Higher Eduction on the basis of suggestions received from Members of the Council from time to time.

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to all State Governments and Administrations of Union Territories, President's Secretariat, Cabinet Secretariat, Prime Ministers' Office, Ministry of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Planning Commission.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for information.

VEENA ISH
Joint Secretary (BP & Copyright)

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2011
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2011